कार्यालय,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,गोड्डा।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 480/ग्रा0वि0,दिनांक 28.02.2018 के आलोक में गोड्डा जिला के सभी 09 प्रखंड के 67 पंचायत, 144 ग्राम के 536 लाभुकों के लगभग 266 एकड़ भूमि पर बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न सामग्री के क्रय के संबंध में दर निर्धारण के लिए निम्न प्रकार निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

क्र0सं0	विवरणी
1	**2**
1	केचुआ खाद
2	करंज खल्ली
3	डी0ए0पी0 खाद
4	एम0ओ0पी0 खाद
5	बोन मील
6	डोलोमाइट
7	मैंकोजैब+कार्बेनडाजीम
8	क्लोरोपैरीफॉर्स
9	फूराडॉन 3 जी
10	सड़ी गोबर खाद

1. इस हेतु पंजीकृत फर्म से Technical & Financial bid अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है। Tecnnical bid में Qualify करने के बाद Financial bid खोला जायेगा।
2. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता पंजीकृत ग्राम संगठन/ कृषक उत्पापदक समूह/ कृषक उत्पादक कम्पनी/ कृषक कॉपरेटिव(VO/FPO/FPG/FPC/Formers Coprative etc.) सक्रिय हों के द्वारा भी दिनांक 31.05.2018 तक कार्यालय अवधि में 11:00 बजे पूर्वाहन् तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा में दे सकते हैं। निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराहन् क्रय समिति के समक्ष निविदादाता या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के उपस्थिति में खोला जायेगा।
3. असफल निविदादाता को दर निर्धारण के पश्चात् उसी दिन उनके द्वारा जमा किया गया बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
4. सामग्री की आपूर्ति कार्य/योजना स्थल पर करना होगा । दर में सभी प्रकार के कर एवं परिवहन शुल्क आदि की राशि सम्मिलित होगी।

5. निविदा में दिया गया दर (भाड़ा सहित) Schedule Rate/ जिला कृषि पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा उपलब्ध कराये गये दर से कम या बराबर मान्य होगा। उक्त दर पर ही अभिश्रव समर्पित करना होगा।
6. न्यूनतम दर वाले निविदादाता का ही निविदा स्वीकार किया जायेगा।
7. निविदा की शर्त्तों में परिवर्त्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

निविदादाता को निविदा के साथ निम्नांकित कागजात संलग्न करना अनिवार्य होगाः-

1. निविदा के साथ 10000/- रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक ,गोड्डा के पदनाम से संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ अद्यतन आयकर एवं सेल्स टैक्स क्लियरेंस संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ JVAT/CST/GST निबंधन की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आपूर्तिकर्त्ता को इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि -

   (क). सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर मेरे द्वारा की जाएगी, भविष्य में योजना में किसी प्रकार की गुणवत्ता को लेकर अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।

   (ख) निविदा के माध्यम से स्वीकृत दर पर ही आपूर्ति की गई सामग्री का अभिश्रव कार्यकारी एजेंसी को दिया जायेगा। उससे अधिक राशि का अभिश्रव दिये जाने पर कार्रवाई के हकदार होंगे।

   (ग) निविदादाता को किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने एवं किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।

ह0/-

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा।